

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई) (226/92)/अलेसे-III/ 8132-40

दिनांक :- 25/7/13

कार्यालय आदेश

श्री नेहरू लाल, क0लेखाकार तत्कालीन पदस्थापित कार्यालय पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर (सीकर) के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा दर्ज अपराध संख्या 199/2011 में इस विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांक 8116 दिनांक 25.07.2013 द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी करने के फलस्वरूप राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा उक्त श्री नेहरू लाल, क0लेखाकार वर्तमान पदस्थापन कोषालय, सीकर को तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

इन्हें निलंबन काल के दौरान राजस्थान सेवा नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देना होगा। निलंबन काल में इनका मुख्यालय कोषालय, नागौर में किया जाता है, जहां वे नियमित उपस्थिति देंगे।

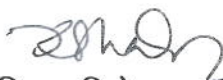

निदेशक.

क्रमांक :- एफ.4(ई) (226/92)/अलेसे-III/ 8132-40

दिनांक :- 25/7/13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप महानिरीक्षक, पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर (सीकर)।
4. कोषाधिकारी, सीकर।
5. कोषाधिकारी, नागौर।
6. श्री नेहरू लाल, क0लेखाकार, कोषालय, सीकर। Link no. 3270
7. श्री महेन्द्र गोयल, लेखाकार, शाखा अलेसे-III।
8. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
9. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
10. पदस्थापन शाखा/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)